



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1630/अका./सम्बद्धता/2021

रायपुर, दिनांक : 23/03/2021

## ॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के अनुमोदनानुसार, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2018-19 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.वॉक. (नवीन पाठ्यक्रम) द्वितीय वर्ष	40 सीट	2018-19

### शर्त :-

- 01 महाविद्यालय को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2521/85/आउशि/अ.शै.प्र./2021 दिनांक 22.01.2021 द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 02 प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- 03 प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- 04 शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- 05 इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
- 06 समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- 07 निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
- 08 जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- 09 शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- 10 परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।  
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार, 23.3.21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

रायपुर, दिनांक 23/03/2021

पृ. क्रमांक 1631 अका./सम्बद्धता/2021

### प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- 03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- 04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- 05 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- 06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- 07 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।  
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशेसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 1725/Acad/2021 Raipur dt 04.03.2021

निरीक्षण की तिथि : 08.03.2021

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B.Voc IInd year	Interior Design	40	2018-19	22

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	वैध है।
2.	समिति के नाम अविवादित स्वाग्नित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	1.90 + 4.09 = 5.99 Acre
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	35.97 Lakh.
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	2021 2021
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	स्वयं के भवन में
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	कक्षा उपलब्ध है
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	प्रयोग कार्य हेतु कक्षा है।
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	उपलब्ध है। 40 सीट के अनुरूप अतिरिक्त सेट क्रय करना प्रस्तावित है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	वर्तमान में 8 शिक्षक कार्यरत है।

Adpurd

@Balmiki  
7/1/19 9

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i), 7(vi)	कार्य शुरू में ग्रंथपालों-नियुक्त नहीं है। प्रस्तावित पुस्तकों उपलब्ध है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	मूलभूत सामग्री उपलब्ध है।
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियाँ एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं?		शर्तों की पूर्ति की गई है। नियमित शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं।
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		कॉलेज ने 2f में सम्बद्धता नहीं ली है। नियमित प्राचार्य नियुक्त किया जाना है।
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		2f Affiliation of College - Appointment of Principal in Sect 28 - Regular faculty under Sect 28. - More instrumental & library facility as per Sector Skill Council - Lab support staff

Observations enclosed as Annex - A-1

SSC (Construction)

Requirements enclosed A-2

- Advisory Committee must be formed (Construction)  
- UGC Concurrence / approval for running E-Voc program needed.

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

Prof AK Gupta  
ad pmp  
8/3/21

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. Prof AK Gupta - ad pmp
2. Prof S. Tiwari - [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]

दिनांक 8/3/21

प्रति,

कुलसचिव  
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय  
रायपुर (छ.ग.)

[Signature]

[Signature]